सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–175 / 2015 दर्ज तिथि:–16.04.2012

1. धापू पुत्री भीयाराम पत्नी नरसिंगाराम फौत के कायम मुकाम
   1 / 1 धूड़ी पुत्री धापू
   1 / 2 रूखमा पुत्री धापू
   1 / 3 शान्ति पुत्री धापू
   1 / 4 हिरा पुत्री धापू
   जाट निवासी अरणीयाली तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
2. गवरी पुत्री भीयाराम पत्नी धनाराम के वारीशान
   2 / 1 भैराराम पुत्र गवरी पुत्री भीयाराम
   2 / 2 हेमाराम पुत्र गवरी पुत्री भीयाराम
   जाति जाट निवासी बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.............................वादीनीगण

बनाम

1. थानाराम पुत्र धर्माराम
2. देदाराम पुत्र धर्माराम
3. भारूराम पुत्र धर्माराम
4. पेकरराम पुत्र धर्माराम
5. हुकमाराम पुत्र धर्माराम
6. पूराराम पुत्र भानाराम
7. देवाराम पुत्र भानाराम
8. मालाराम पुत्र भानाराम
9. मगाराम पुत्र भानाराम
10. मुस्मात सिगरती बेवा सताराम पुत्र भानाराम
11. मुस्मात माडू बेवा भानाराम (विलोपित)
    जाति जाट निवासी भदराई,बोर चारणान, तहसील धोरीमना ,जिला बाड़मेर
12. तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:–श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादी:–काछबाराम खोथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

अस्... वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:–29.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्त... हक्क अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीनीगण ने निवेदन किया गया कि वादीनीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 स्व.मेहराज के वारिसान है तथा हिन्दु विधि से शासित है। पक्षकारान का वंश–वृक्ष सजरा निम्नानुसार है–

- ➢ कि पक्षकारान मुकदमा वादीनीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 का पैतृक खातेदारी का खेत खसरा संख्या 03 रकबा 428 बीघा 09 बिस्वा ग्राम भदराई हाल ग्राम निकंलग नगर तत्कालीन तहसील गुड़ामालानी वर्तमान तहसील धोरीमना में आये हुए है। भू–प्रबन्ध संवत 2012 में वादीनीगण के पिता भीयाराम का देहांत हो गया इस कारण खेत के पर्चा लगान में वादिनीगण की माता मुस्मात मानी का नाम दर्ज होकर पर्चा लगान रतना पुत्र मेहराज 1/2 व मानी बेवा भीयाराम 1/2 हिस्सा के नाम जारी होकर खातेदारी रेकर्ड संधारित हुआ ।
- ➢ कि वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 03 रकबा 428 बीघा 09 बिस्वा में वादिनीगण तथा वादिनीगण की माता मुस्मात मानी का खातेदारी 1/2 हिस्सा था। वादिनीगण की माता मुस्मात मानी का देहान्त संवत 2026 दिनांक 24.02.1970 को हो गया तथा धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 8 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार मुस्मात मानी के निर्वसीयती फौत हो जाने पर उसके नाम अंकित आराजी का 1/2 हिस्सा में वादिनीगण के अधिकार पैदा हो गए तथा अपनी माता के देहांत के क्षण इस आराजी में वादिनीगण संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा की खातेदार हो गई।

2. कि पक्षकारान के कुनबे के उस समय वादिनीगण के ताउ स्व. रतना जो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के पितामह,मुखिया थे। उन्होने यह जानते हुए कि वादिनीगण के पिता स्व.भीयाराम व माता स्व.मानी के कोई जायन्दापुत्र नहीं है और यह भी जानते हुए कि मृतका सह खातेदार मानी के सिवाय दो पुत्रियों वादिनीगण के अन्य कोई संतान नहीं है, वादिनीगण की माता की फौतगी पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 41 अपने पौत्र थानाराम पुत्र धर्माराम प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में खुलवा कर स्वीकृत करवा दिया तथा वादिनीगण के ताउ रतना का देहान्त होने पर नामान्तकरण संख्या 102 से इस आराजी में भाना पुत्र रतना 1/2 हिस्सा तथा थाना,देदा,भारू,पोकर,हुकमा पिता धर्माराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी अंकन करवा दिया गया। इस प्रकार षडयंत्र पूर्वक वादिनीगण को अपने विधिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया जिस पर वादिनीगण को अपने हकूको की घोषणा हेतु यह वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादिनीगण की माता मुस्मात मानी का निर्वसीयती देहांत होने तथा मृतका मुस्मात मानी हिन्दु विधि से शासित थी तथा उसके देहांत के समय उसकी प्रथम वर्ग की विधिक वारिसान उसकी दोनों पुत्रियां वादिनीगण ही होने से उसके नाम अंकित खातेदारी का हिस्सा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उसी क्षण वादिनीगण में निहित होने के आधार पर वादीनीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को वादीनीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कि[illegible] तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 6 से 11 के सम्मन बावजूद रजिस्टर्ड तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 मय वकुलाय न्यायालय हाजा उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत करने पर वादीनी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न शपथ पत्र, गवाह एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाऐ।

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
खतौनी बन्दोबस्त	खसरा संख्या 3 मौजा मौजा भदराई संवत् 2012 से 2016	प्रदर्श–01
खतौनी बन्दोबस्त	खसरा संख्या 3 मौजा मौजा भदराई संवत् 2019 से 2022	प्रदर्श–02
खतौनी बन्दोबस्त	खसरा संख्या 3 मौजा मौजा भदराई संवत् 2022 से 2025	प्रदर्श–03
खतौनी बन्दोबस्त	खसरा संख्या 3 मौजा मौजा भदराई संवत् 2026 से 2029	प्रदर्श–04
खतौनी बन्दोबस्त	खसरा संख्या 3 मौजा मौजा भदराई संवत् 2030 से 2033	प्रदर्श–05
नामान्तकरण	नामान्तकरण संख्या 102 मौजा भदराई स्वीकृत दिनांक 21.06.2081	प्रदर्श–06
नामान्तकरण	नामान्तकरण संख्या 134 मौजा भदराई स्वीकृत दिनांक 18.05.1990	प्रदर्श–07
नामान्तकरण	नामान्तकरण संख्या 102 मौजा भदराई स्वीकृत दिनांक 15.04.2081	प्रदर्श–08
नामान्तकरण	नामान्तकरण संख्या 72 मौजा भदराई स्वीकृत दिनांक 03.06.1973	प्रदर्श–9
नामान्तकरण	नामान्तकरण संख्या 31 मौजा भदराई स्वीकृत दिनांक 03.07.1970	प्रदर्श–10
बही भाट	(हिन्दु रिवाज अनुसार)	प्रदर्श–11
बही भाट	सत्य लिखित	प्रदर्श–12

1. प्रकरण में वादीनी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी
गवरी पुत्री भींयाराम	जाट	भदराई
देराजराम पुत्र हीराराम	जाट	भदराई
हुकमाराम पुत्र पदमाराम	जाट	भदराई
सोनाराम पुत्र दीपाराम	जाट	भदराई
भैराराम पुत्र गवरी	जाट	बोर चारणान

4. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीनीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं [illegible] दोहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त [illegible] आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीनीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को वादीनीगण की खातेदारी [illegible] से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण 1 से 5 के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए वादीनीगण का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

खारीज करने का निवदेन किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाये है तथा न ही बावजूद अनेक अवसर देने के पर भी कोई साक्ष्य सबूत पेश किया गया।

5. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादीनीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादीनीगण द्वारा दो निम्न अनुतोष निवेदित किये हैं:–
   1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 11 के साथ वादीनीगण को 1/2 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जावे।
   2. वादीनीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन, हस्तक्षेप व बेचान, रहन नहीं करने/कराने तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

6. पत्रावली पर अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुतोष संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार है:–
   1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 11 के साथ वादीनीगण को सहखातेदार घोषित किया जावे।

7. प्रकरण में वादीनी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अधिकार सृजित होने के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज होने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:–

> **6. Devolution of interest in coparcenary property.—**
> *(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—*
> *(a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;*
> *(b) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;*
> *(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:*
> *Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.*

8. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 व 8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार पुत्र व पुत्री को समान अधिकार व दायित्व दिये जाने के प्रावधान है। तथा धारा 8 के अनुसार विरासत का पर देने का अधिकार है। हस्तगत प्रकरण में वादीनीगण के कोई जाईन्दा सगा भाई नहीं है मात्र वादीनी ही प्रथम वारिश है। उक्त तथ्य प्रकरण में निर्विवादित है कि वादीनीगण व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 से 11 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 11 मेहराज के वंशज है।

9. अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 व 8 के तहत वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 11 मेहराज के वंशज होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 से 11 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादीनीगण का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादीनीगण के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

	वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादीनी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीनीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीनी का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादीगण का मुताबिक 1/2 हिस्सा उक्त वादीनी की आराजी में कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-1 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैः-

स्वामित्व एवं कब्जा	प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीनीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 का पैतृक खातेदारी का खेत खसरा संख्या 03 रकबा 428 बीघा 09 बिस्वा ग्राम भदराई हाल ग्राम निकंलग नगर तत्कालीन तहसील गुड़ामालानी वर्तमान तहसील धोरीमना में अवस्थित है। प्रकरण में वादीनीगण का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीनीगण का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादीनीगण की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादीनीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादीनीगण के किसी निश्चित भू-भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है।
सुविधा का संतुलन	मुतनाजा आराजी पर वादीनीगण की पुस्तैनी होने से सहखातेदार है। वादीनीगण के किसी निश्चित भू-भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादीनीगण के पक्ष में होना स्पष्ट है।
अपूरणीय क्षति	प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीनीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 का पैतृक खातेदारी का खेत खसरा संख्या 03 रकबा 428 बीघा 09 बिस्वा ग्राम भदराई वर्तमान ग्राम निगलंग नगर तत्कालीन तहसील गुड़ामालानी वर्तमान तहसील धोरीमना अवस्थित है। प्रकरण में वादीनीगण का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीनीगण का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादीनीगण की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है।प्रार्थीनीगण को [illegible] से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना [illegible] शर्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

11. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीनीगण को जिम्मे निर्णायक बिन्दु संख्या 1 व 2 वादीनीगण दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्यों से प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से सफल रही है तथा प्रतिवादीगण के जिम्मे निर्णायक बिन्दु संख्या 3 को प्रमाणित करने में दस्तावेज व मौखिक साक्ष्यों के अभाव में

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

पूर्ण रूप से असफल रहे है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 का 1/2 पैतृक हिस्सा खातेदारी का खेत खसरा संख्या 03 रकबा 428 बीघा 09 बिस्वा ग्राम भदराई हाल ग्राम निकंलग नगर तत्कालीन तहसील गुड़ामालानी वर्तमान तहसील धोरीमना में अवस्थित है। प्रकरण में वादीनीगण का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीनीगण का संयुक्त काश्तकार 1/2 हिस्सा का घोषित होने के आधार पर वादीनीगण की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर 1/2 हिस्सा का वादीनीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीनीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की भी अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादीनीगण का दावा बाबत इस्तकरार हक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीनीगण को मुतनाजा आराजी हाल ग्राम भदराई हाल ग्राम निकंलग नगर पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 03 रकबा 428 बीघा 09 बिस्वा में वादिनीगण की माता मुस्मात मानी का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 हिस्से की सहखातेदार मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीनीगण के वारिसान को उक्त संयुक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का नाम 1/2 हिस्से तक कलमजन कर राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के संयुक्त 1/2 हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 29.07.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

29/7/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमना–बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना • जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20,रूल्स 6,7,सीपीसी)

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—175/2015

दर्ज तिथिः—16.04.2012

1. धापू पुत्री भीयाराम पत्नी नरसिंगाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 धूड़ी पुत्री धापू
   1/2 रूखमा पुत्री धापू
   1/3 शान्ति पुत्री धापू
   1/4 हिरा पुत्री धापू
   जाट निवासी अरणीयाली तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
2. गवरी पुत्री भीयाराम पत्नी धनाराम के वारीशान
   2/1 भैराराम पुत्र गवरी पुत्री भीयाराम
   2/2 हेमाराम पुत्र गवरी पुत्री भीयाराम
   जाति जाट निवासी बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....वादीनीगण

बनाम

1. थानाराम पुत्र धर्माराम
2. देदाराम पुत्र धर्माराम
3. भारूराम पुत्र धर्माराम
4. पेकरराम पुत्र धर्माराम
5. हुकमाराम पुत्र धर्माराम
6. पूराराम पुत्र भानाराम
7. देवाराम पुत्र भानाराम
8. मालाराम पुत्र भानाराम
9. मगाराम पुत्र भानाराम
10. मुस्मात सिगरती बेवा सताराम पुत्र भानाराम
11. मुस्मात माडू बेवा भानाराम (विलोपित)
    जाति जाट निवासी भदराई,बोर चारणान, तहसील धोरीमना ,जिला बाड़मेर
12. तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीः—काछबाराम खोथ

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

–:पर्चा डिक्री:–

वादीनीगण का दावा बाबत इस्तकरार हक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीनीगण को मुतनाजा आराजी हाल ग्राम भदराई हाल ग्राम निकंलग नगर पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 03 रकबा 428 बीघा 09 बिस्वा में वादिनीगण की माता मुस्मात मानी का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 हिस्से की सहखातेदार मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीनीगण के वारिसान को उक्त संयुक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का नाम 1/2 हिस्से तक कलमजन कर राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के संयुक्त 1/2 हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

29/7/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested